जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–6/22/डी– 3399 दनांक 14.10.2022

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः– धारा 90–ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90–ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

सलंग्नः– लोक सूचना विज्ञप्ति।

उपायुक्त जोन–6
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

उपायुक्त जोन – 6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांकः–जविप्रा/उपा./जोन–13/2022/डी–5235 दिनांकः– 13/10/22

125
14/10/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा/नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया हैं :–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण/ लीजडीड/फ्री होल्ड लीजडीड/अन्य
1.	140	138.00 व.ग.	श्री किशोर सिंह जरिये संरक्षक	जवाहरपुरी गृ. नि.स.समिति	संत सुन्दरदास नगर	सोसायटी का मूल रसीद एवं साईट प्लान संलग्न है। नामहस्तातरण/लीज होल्ड लीजडीड

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त, जोन–13
जयपुर विकास
प्राधिकरण,
जयपुर

PRO 13/10/22

प्रतिलिपिः–

1. परामर्शी (जनसम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त, जोन–13
जयपुर विकास
प्राधिकरण,
जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302 004
दुरभाष91–141–2569795 : ईपीबीएक्स – +91–141–2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स–+91–141–2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–9/2022/डी–5829 दिनांकः–13/10/2022

सार्वजनिक सूचना

उक्त भूखण्ड की नाम हस्तान्तरण/लीज होल्ड से फ्री होल्ड लीजडीड हेतु हेतु आम सूचना का प्रारूप निम्नानुसार है :–

क्रं. सं.	ऑनलाईन आवेदन क्रमांक	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	112149	बी–41	344.44 व.ग.	पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कुसुम विहार	श्रीमती कमला भरोसी लाल मीना पत्नी श्री भरोसी लाल मीना	श्री अयुब अली पुत्र श्री मेहबूब खां	सहकारी समिति द्वारा जारी डुप्लीकेट आवंटन पत्र के आधार पर

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के तहत जोन–12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री गोपाल लाल	श्री मालीराम डोगीवाल पुत्र भोजराम	58	269.06 वर्गगज	निजी खातेदारी	तिरूपति विहार	फ्री होल्ड लीजडीड	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व मूल दस्तावेज खो जाने के कारण दर्ज एफआईआर व समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति के आधार पर

उपरोक्त का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर
यू.ओ.नोट क्रमांक :जविप्रा/जोन–12/2022/डी– 3493
दिनांक 13-10-2022

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के तहत जोन–12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री गोपाल लाल	श्री गिर्राज चौधरी पुत्र श्री रामनाथ चौधरी	59	233.33 वर्गगज	निजी खातेदारी	तिरूपति विहार	फ्री होल्ड लीजडीड	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व मूल दस्तावेज खो जाने के कारण दर्ज एफआईआर व समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति के आधार पर

उपरोक्त का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर
यू.ओ.नोट क्रमांक :जविप्रा/जोन–12/2022/डी–3491
दिनांक 13-10-2022

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के तहत जोन–12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री गोपाल लाल	श्री मालीराम डोगीवाल पुत्र भोजराम	57	216.67 वर्गगज	निजी खातेदारी	तिरूपति विहार	फ्री होल्ड लीजडीड	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व मूल दस्तावेज खो जाने के कारण दर्ज एफआईआर व समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति के आधार पर

उपरोक्त का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर
यू.ओ.नोट क्रमांक :जविप्रा/जोन–12/2022/डी– 3490
दिनांक 13-10-2022

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–जविप्रा/उपा./जोन–12/2022/डी– 3496 दिनांक 13.10.2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	योजना का नाम	विवरण
1.	21	श्रीमती राशि अग्रवाल पत्नी डॉ. विनोद कुमार गुप्ता	विजय गृ.नि.स.स. लि.	अजय नगर–बी	नामहस्तान्तरण/लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड लीजडीड हेतु
2.	22	श्रीमती राशि अग्रवाल पत्नी डॉ. विनोद कुमार गुप्ता	विजय गृ.नि.स.स. लि.	अजय नगर–बी	नामहस्तान्तरण/लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड लीजडीड हेतु

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–12,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन–12,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail: dc.zone12.jda@rajasthan.gov.in

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–3/2022/डी–776 दिनांक 14/10/2022

प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन

जयपुर क्षेत्र में स्थित जविप्रा की योजना लालकोठी के भू.स. बी–48 क्षेत्रफल 530 वर्गगज वर्गगज की लीजडीड श्रीमती विनिता शर्मा पत्नी श्री रमेश चन्द्र शर्मा के पक्ष में दिनांक 16.05.2011 को जारी की गई थी। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बेचान किये जाने पर जविप्रा द्वारा पत्र क्रमांक डी–676 दिनांक 31.8.2022 के द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण मैसर्स गैलेक्सी प्राईम पाईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक श्री संदीप पुत्र श्री रामवतार के पक्ष में किया जा चुका है। मैसर्स गैलेक्सी प्राईम पाईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक श्री संदीप पुत्र श्री रामवतार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू–उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना में दर्शित व्यावसायिक भू–उपयोग के अनुसार आवासीय से व्यावसायिक भू–उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर भू.स. बी–47, दक्षिण दिशा की ओर भू.सं. बी–49, पूर्वी दिशा की ओर भू.सं. 714 एवं पश्चिम दिशा की ओर 100 फीट रोड़ स्थित है।

अतः नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू–उपयोग मास्टर/जोनल विकास योजना अनुसार आवासीय से व्यावसायिक भू–उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त उपान्तरण के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो, किन्ही दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा उपायुक्त, जोन–03 को प्रस्तुत कर सकते है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 14/10/2022 को जारी की गयी।

सचिव
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष- : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {1140}: ई-मेल : actpmp2025@gmail.com

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

विषयः– विज्ञप्ति प्रकाशन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ लविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री सुधीर कुमार शर्मा पुत्र श्री रणवीर शर्मा	श्रीमती प्रेम पत्नी श्री रामनिवास	112	244.44 में से 122.22	श्री छत्रपति शिवाजी	प्रताप नगर विस्तार	उपविभाजन/पट्टा	मुख्त्यारआम, विक्रय पत्र
2	श्री महेश गुर्जर व श्री विष्णु गुर्जर पुत्र स्व. श्री बाबूलाल गुर्जर	श्री बाबूलाल गुर्जर पुत्र श्री नृसिंह लाल गुर्जर	9–बी–1	98.88	सिंधु	श्रीश्याम कालोनी	नियमन	उत्तराधिकार के आधार पर
3	श्री घनश्याम सिंह कविया पुत्र श्री कुबेरदान सिंह कविया	श्री कुबेरदान पुत्र श्री जोगीदान	153	255.55	श्रीजनता	कानाराम नगर	नियमन	वसीयत के आधार पर
4	श्री निजामुदीन कुरेशी पुत्र श्री नईमुदीन कुरेशी	श्री गंगाराम	15	199.98		निजी खातेदारी	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
5	श्री मनोज शर्मा पुत्र श्री सन्त कुमार शर्मा	श्रीमती विजयलक्ष्मी शर्मा पत्नी श्री सन्त कुमार शर्मा	ए–27	206.18	श्रीजनता	कानाराम नगर	नाम हस्तान्तरण	उत्तराधिकार के आधार पर
6	श्री रमेश चन्द खण्डेलवाल पुत्र श्री झम्मन लाल खण्डेलवाल	श्री रमेश चन्द खण्डेलवाल पुत्र श्री ढम्मन लाल खण्डेलवाल	बी–4	79.25	शिल्पाचार्य	स्कीम नम्बर–14 गंगा जमना	नियमन	रसीद गुम होने के आधार पर
7	श्री लक्ष्मण चौधरी पुत्र श्री रामेश्वर चौधरी व श्री अनिल चौधरी पुत्र श्री लक्ष्मण चौधरी	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रामदास	डी–39	50.00		मुरलीपुरा	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
8	श्री लक्ष्मण कुमार चौधरी पुत्र श्री रामेश्वर चौधरी व श्री अनिल चौधरी पुत्र श्री लक्ष्मण चौधरी	श्री मदन मोहन खूंटेटा पुत्र श्री मोतीलाल खूंटेटा	डी–40	50.00		मुरलीपुरा	नियमन	अपंजीकृत दस्तावेज
9	श्रीमती सुप्यार कवंर पत्नी श्री स्व. श्री पूरण सिंह शेखावत	श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री गोपाल लाल	34	166.00	भैरव	तिरूपति नगर	नियमन	अपंजीकृत

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

10	श्री सुरेन्द्र सिंह मीणा व श्री कमल राज पुत्रान श्री जगदीश प्रसाद	श्री जगदीश प्रसाद मीणा पुत्र श्री घीसालाल मीणा	07	190.00	शंकर भवन	शंकर नगर–बी	नियमन	उत्तराधिकार एवं हकत्याग के आधार पर
11	श्री चौथमल कुमावत पुत्र श्री गणेश नारायाण कुमावत	श्री अनिल शर्मा पुत्र स्व. श्री बंशीलाल शर्मा	385	100.00	मोती भवन	4–एस माचडा	नियमन	सदस्य सूची में नाम अंकित नही

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन – 6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।
यू.ओ.नोट कमांकः जविप्रा/जोन–6/22/डी–3320
दिनांक 14.10.2022

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

क्रमांकः जविप्रा/जोन–2/2022/डी– 2019 **दिनांक** 13.12.22

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा	श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री हीरालाल शर्मा	124 बी	86.11 व.ग.	माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति	जे.पी. कॉलोनी	नाम हस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण–पत्र, रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र इत्यादि
2	श्री रमेश चन्द गुर्जर पुत्र श्री नानूराम गुर्जर	श्री रमेश चंद गुर्जर पुत्र श्री नानूराम गुर्जर (श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जारी आवंटन पत्रानुसार)	330	90 व.ग.	श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति	गणेश विहार	फ्री होल्ड पट्टा	श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र इत्यादि एवं सदस्यता सूची में अंकित नाम में भिन्नता

उपायुक्त जोन–2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

PROR-1712
14/12/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष–{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–7/2022/डी– 2190 दिनांक 12/10/2022

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री रवि गोलछा एवं श्री राकेश गोलछा पुत्रान श्री कमल गोलछा	श्री रवि गोलछा एवं श्री राकेश गोलछा पुत्रान श्री कमल गोलछा	ए–515	236.11	नवजीवन	विधुत नगर	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र एवं पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रति

RAJR-1713/2022

-sd-
उपायुक्त, जोन– 7
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः– जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन– 7
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–7/2022/डी– 2186 दिनांक 12/10/2022

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री राजकमल सोनी पुत्र श्री बजरंग लाल सोनी	श्री सत्यप्रकाश मीणा पुत्र श्री नाथूलाल मीणा	ए– 44	138 व. ग.	जविप्रा	वैशाली नगर	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	पंजीकृत विक्रय पत्र एवं माननीय न्यायालय द्वारा जारी राजीनामा व शपथ पत्र

PRO/R-1714/4/22

-Sd-
उपायुक्त, जोन– 7
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः– जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन– 7
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–जविप्रा/उपा./जोन–14/2022/डी–3238 दिनांक 14/10/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	योजना का नाम	विवरण
1.	ए–262	श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री रिछपाल सिंह	जविप्रा	बक्सावाला	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
2.	72	श्रीमती स्नेहलता जैन पत्नी श्री राजकुमार जैन	बुनियादी विकास गृ. नि.स.स.लि.	राधा कृष्णा एनक्लेव	लीजडीड हेतु
3.	45	श्री राजकुमार जैन पत्नी श्री प्रवीण चन्द जैन	बुनियादी विकास गृ. नि.स.स.लि.	राधा कृष्णा एनक्लेव	लीजडीड हेतु
4.	ए–45	श्री उज्जवल चौपडा पुत्र श्री मधुसुदन चौपडा	निजी खातेदारी	मथुरावाला–ए	नामहस्तान्तरण/लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड लीजडीड हेतु
5.	14/ID/D/10	श्री बिट्ठल दास माहेश्वरी पुत्र श्री बाल कृष्ण	जविप्रा	रिंग रोड परियोजना	नामहस्तान्तरण हेतु
6.	बी–370	श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व. श्री लालचन्द	जविप्रा	बक्सावाला	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
7.	बी–371	श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी स्व. श्री लालचन्द	जविप्रा	बक्सावाला	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
8.	बी–301	श्री रामेश्वर शर्मा पुत्र श्री गोविन्द राम शर्मा	जविप्रा	बक्सावाला	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु

PRO 14/10/22

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन–14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail: dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा आवासीय लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	लीजधारक/मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया है।	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती लता यादव	श्री रमेश शर्मा	ई–76	162 वर्ग मीटर	जविप्रा	गोविन्दपुरा करधनी	फ्री होल्ड पट्टा	जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड, मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा वंशावली, अपंजीकृत वसीयत आदि।
2	श्री जितेन्द्र सिंह चौहान	श्रीपाल सिंह चौहान	ए–91	200 वर्ग गज	इन्द्रा गृ.नि.स.स.	नित्यानन्द नगर–ए	फ्री होल्ड पट्टा	जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड, मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा वंशावली, पंजीकृत हकत्याग पत्र आदि।
3	श्रीमती सुनीता टाक	श्री रामजी लाल सैन	डी–07	200 वर्ग गज	गोपालपुरा गृ.नि.स.स. लि.	ज्नकपुरी	फ्री होल्ड पट्टा	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आदि।
4	श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान	श्रीमती सरोज	127	280 वर्ग गज	दी कृष्णा कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी	के–5–सी	फ्री होल्ड पट्टा	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान की प्रति, अपंजीकृत इकरारनामा, रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आदि।

उक्त दस्तावेजात् के आधार पर उक्त भूखण्डों का पट्टा आवेदको के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी–एसएफ–218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच प्श्चात् पट्टा/लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन–7,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.7/2022/डी– 2197
दिनांक :– 13/10/2022

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–7/2022/डी– 2057 दिनांक 23/9/2022

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री रामचन्द्र कसवा एवं श्रीमती किशनी देवी	श्री रामचन्द्र कंसवा एवं हेतराम मोटसरा	आर–12/121	371.04 व.ग.	निजी खातेदार	इन्द्रप्रस्थ	फ्री होल्ड पट्टा	जविप्रा द्वारा जारी पट्टा, अपंजीकृत वसीयतनामा, सजरा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र

उपायुक्त, जोन– 7
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त एवं अतिरिक्त नगरीय,
जोन-7 जविप्रा जयपुर।

प्रतिलिपिः– जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन– 7
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455

जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक / ज.वि.प्रा / उपा. / जोन–4 / 2022 / डी– 2351 दिनांक. 13-10-2022

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांकः से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण / लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	गृ. नि. स. स.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	74	अमृतपुरी	विप्र विहार	श्री संजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश नारायण अग्रवाल	श्री नन्द लाल गुप्ता पुत्र श्री माणक चन्द गुप्ता	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 07.06.2001 मुख्त्यानामा दिनांक 09.05.2018 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2018 आदि।
2	74ए	अमृतपुरी	विप्र विहार	श्रीमती मंजु शर्मा पत्नी श्री धर्मेन्द्र शर्मा	श्री नन्द लाल गुप्ता पुत्र श्री माणक चन्द गुप्ता	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 07.06.2021 मुख्त्यानामा दिनांक 09.05.2018 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2018 आदि।
3	10	अमृतपुरी	विप्र विहार	श्री जगदीश नारायण राणा पुत्र श्री नानगराम राणा	श्रीमती किरण वर्मा पत्नी श्री ओमप्रकाश वर्मा	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 14.07.2014 आदि।
4	11	अमृतपुरी	विप्र विहार	श्रीमती सबरूना पत्नी श्री निजामुदीन	श्री मनीष कूलवाल पुत्र श्री ब्रज मोहन कूलवाल	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 21.06.2019 मुख्त्यानामा दिनांक 21.06.2019 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.02.2020 आदि।
5	73	अमृतपुरी	विप्र विहार	श्रीमती कोमल माहेश्वरी पत्नी श्री सोमनाथ माहेश्वरी	श्री रमेश चन्द पुत्र श्री हनुमान सहाय शर्मा	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 31.03.1999 आदि।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर– 302004
दूरभाष - 0141–2574798 : ईपीबीएक्स - 91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई मेल
:dc.zone04@jaipurjda.org

6	77	अमृतपुरी	विप्र विहार	श्रीमती सुमित्रा पत्नी श्री महेश चन्द	श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री हरीनारायण शर्मा	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 23.01.2002 आदि।
7	65	अमृतपुरी	विप्र विहार	श्री मोहन सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह	श्रीमती उषा रस्तोगी पत्नी श्री महेन्द्र कुमार रस्तोगी।	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 05.11.2001 आदि।
8	6	अमृतपुरी	विप्र विहार	श्रीमती गौरा देवी पत्नी श्री लालचन्द मीणा	श्री भंवर कंवर पुत्र श्री नाथू सिंह	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 13.03.2011 आदि।
9	94	अमृतपुरी	विप्र विहार	श्री सुरेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र श्री ललित किशोर मिश्रा	श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय शर्मा	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 15.03.1999 आदि।
10	36	अमृतपुरी	विप्र विहार	श्री निर्मल कुमार वशिष्ठ पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री चिरंजी लाल शर्मा	मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 12.05.2018 आदि।
11	99	अमृतपुरी	विप्र विहार	श्री हर्ष सिंह पुत्र स्व. श्री गणपत सिंह भाटी	श्री गणपत सिंह भाटी पुत्र श्री तेज सिंह	मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 17.02.2017 हकत्याग पत्र दिनांक 11.10.2022 आदि।
12	3	अमृतपुरी	विप्र विहार	श्री रघुराज सिंह श्री नरेन्द्र सिंह, पुत्रान स्व. श्री भागीरथ सिंह	श्री भागीरथ सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह	मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 25.02.2008 हकत्याग पत्र दिनांक 01.04.2011
13	17	अमृतपुरी	विप्र विहार	श्री रघुराज सिंह श्री नरेन्द्र सिंह, पुत्रान स्व. श्री भागीरथ सिंह	श्री भागीरथ सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह	मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 25.02.2008 हकत्याग पत्र दिनांक 01.04.2011
14	86	अमृतपुरी	विप्र विहार	श्री हर्षवर्धन मीणा पुत्र श्री कंचन लाल मीणा	श्री सुरेन्द्र कुमार (शर्मा) मिश्रा पुत्र श्री ललित कुमार(शर्मा) मिश्रा	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 31.07.2012 आदि।

15	95	अमृतपुरी	विप्र विहार	श्री लाखन सिंह मीणा पुत्र श्री रामस्वरूप मीणा	श्रीमती अनिता शर्मा पत्नी श्री सीता राम शर्मा	अपंजीकृत दिनांक आदि।	इकरारनामा 11.09.2000

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांकः 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांकः 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक. LU2012/JDA/2022-23/102134 / 5818 DATED- 12/10/2022

लोक सूचना

खातेदार आवेदक श्री शंकर लाल पुत्र स्व. श्री जगदीश नारायण एवं श्री मुकेश कुमार पुत्र स्व. श्री जगदीश नारायण निवासी ग्राम जयपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर द्वारा इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का **आवासीय** उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है।

अर्थात:–

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम–जयपुरा तहसील–सांगानेर जिला–जयपुर	1. श्री शंकर लाल पुत्र स्व. श्री जगदीश नारायण, हिस्सा 1/2, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर 2. श्री मुकेश कुमार पुत्र स्व. श्री जगदीश नारायण, हिस्सा 1/2, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर	517/510	0.7450 हैक्टेयर
कुल		कुल किता 01	रकबा 0.7450 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ओर अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है। और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 12/10/22 को जारी की गयी।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपी–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा,जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/102135 / 5817 DATED- 12/10/2022

लोक सूचना

खातेदार आवेदक श्री फूलचन्द पुत्र सूवा निवासी ग्राम जयपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर द्वारा इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का **आवासीय** उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है।

अर्थातः–

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम–जयपुरा तहसील–सांगानेर जिला–जयपुर	श्री फूलचन्द पुत्र सूवा, हिस्सा सपूर्ण जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम जयपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर	516/510	0.7450 हैक्टेयर
कुल		**कुल किता 01**	**रकबा 0.7450 हैक्टेयर**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ओर अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है। और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 12/10/22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी, जोन–9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा,जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी, जोन–9
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/102136 / 5816 DATED- 12/10/2022

लोक सूचना

खातेदार आवेदक श्रीमती मूली देवी पत्नी स्व. जगदीश नारायण एवं श्रीमती यशोदा पत्नी फूलचन्द निवासी ग्राम जयपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर द्वारा इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का **आवासीय** उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है।

अर्थातः–

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम–जयपुरा तहसील–सांगानेर जिला–जयपुर	1. श्रीमती मूली देवी पत्नी स्व. जगदीश नारायण, हिस्सा 1/2, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर 2. श्रीमती यशोदा पत्नी फूलचन्द, हिस्सा 1/2, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जयपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर	511/507	0.3350 हैक्टेयर
कुल		**कुल किता 01**	**रकबा 0.3350 हैक्टेयर**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ओर अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है। और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 12/10/22 को जारी की गयी।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी जोन–9
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

प्रतिलिपी–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा,जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी जोन–9
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–ज.वि.प्रा./उपा./जोन–13/2022/डी–5236 दिनांकः 13/9/22

लोक सूचना

महेश कुमार मीना पुत्र जगदीश प्रसाद मीना हिस्सा पूर्ण, जाति–मीना निवासी–कल्याणकुंज 52 फीट हनुमानजी के पीछे, ग्राम–बगराणा, जयपुर खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का **गैर–कृषिक (वाणिज्यिक पैट्रोल पम्प) प्रयोजन** के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टै.)
तहसील–बस्सी जिला–जयपुर	ग्राम–सांख श्योपुरी	महेश कुमार मीना पुत्र जगदीश प्रसाद मीना	273/54	0.2525 में से 915 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 13/9/22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/102132 दिनांकः 13/10/2022

लोक सूचना

मैसर्स मंगलम एसोसिएटस **जरिये अधिकृत साझेदार श्री शुभम अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र अग्रवाल पंजीकृत कार्यालय–एच–55, झकोरेश्वर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।**

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	ग्राम केश्यावाला, सांगानेर (जयपुर)	मैसर्स मंगलम एसोसिएटस पंजीकृत कार्यालय–एच–55, झकोरेश्वर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।	916/366	1000	0.10
			918/367	10300	1.03
				कुल	1.13

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **13-10-2022** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन–11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट

विषयः— भैरव गृ.नि.स.स. की योजना गंगा जीवन नगर की सदस्य सूची का प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भैरव गृ.नि.स.स. की योजना गंगा जीवन नगर का नियमन शिविर आयोजित किया जाना है। इस हेतु उक्त योजना की सदस्य सूची का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत सदस्य सूची यू.ओ.नोट के साथ संलग्न कर भिजवायी जा रही है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त जोन — 6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट कमांकः जविप्रा/जोन—6/22/डी— 3317
दिनांक 13/6/22

रजि न 355/जयपुर/2017-18

-10-

गंगा जीवन नगर विकास समिति

पेरवट नि.समिति की सदस्य सूची गंगा जीवन नगर

क.सं	अलोटी का नाम (गंगाजीवन नगर)	भु.सं.	वर्गगज
1	बाबूलाल दूधवाल पुत्र भोलाराम दूधवाल	1	199.40
2	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भगवान सहाय शर्मा	3	266.66
3	किरण पत्नी प्रेमाराम	4	266.66
4	उषा जाखड पुत्री शीशराम	5 (1)	133.33
5	अनिता पुत्री शीशराम	5 (2)	133.33
6	नरेश कुमार शर्मा पुत्र प्रभु दयाल शर्मा	6	266.66
7	नरेश कुमार शर्मा पुत्र प्रभु दयाल शर्मा	7	266.66
8	रमेश चंद्र शर्मा पुत्र कन्हैया लाल शर्मा	9	266.66
9	ग्यारसी देवी पत्नी मंगल चन्द लोरा	10	220.00
10	बुगली पत्नी रामभरोसे	13	203.33
11	जानकी देवी शर्मा पत्नी जगदीश प्रसाद	14	204.94
12	विध्या देवी जॉगीड पत्नी रामदेव जॉगीड	16	180.00
13	उमेश चंद शर्मा शुभकरण शर्मा	18	200.00
14	सुनीता लाम्बा पत्नी प्रदीप कुमार भालोठिया	19	200.00
15	कमला शर्मा पत्नी बलराम शर्मा	20	203.00
16	विक्रम सिंह शेखावत पुत्र नारायण सिंह शेखावत	21	205.80
17	सुरेन्द्र शर्मा पुत्र बैधनाथ शर्मा	22	197.76
18	गीता देवी पत्नी भोलाराम बराला	23	99.00
19	मुरारी लाल अग्रवाल पुत्र रामनिवास अग्रवाल	23 (1)	100.00
20	रणधीर सिंह पुत्र रिच्छपाल सिंह	27	200.00
21	सरोमती देवी पत्नी रणधीर सिंह	28	231.66
22	बिरधि चंद सांखला पुत्र पांथू लाल सांखला	29	200.00
23	विनोद लाम्बा पत्नी अरविन्द कुमार	30	200.00
24	जुगल किशोर शर्मा पुत्र हरिनारायण शर्मा	31	200.00
25	मान सिंह,चन्दन सिंह पुत्र चैन सिंह	32	130.00
26	राजबाला पत्नी सुल्तान	32 (1)	75.00
27	सुरेन्द्र कुमार पुत्र भानाराम	33	210.00
28	बस्ती राम यादव पुत्र गौरी सहाय यादव	34	377.77
29	गोपाल लाल कुमावत पुत्र रामनिवास कुमावत	36	311.11
30	बाबूलाल पलसानिया पुत्र नाथू लाल पलसानिया	38	344.44

वास्ते गंगा जीवन नगर विकास समिति

यू.ओ.नोट

विषयः— श्री गणपति गृ.नि.स.स. की योजना श्याम नगर–5 की सदस्य सूची का प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री गणपति गृ.नि.स.स. की योजना श्याम नगर–5 ग्राम नांगल जैसा बोहरा का नियमन शिविर आयोजित किया जाना है। इस हेतु उक्त योजना की सदस्य सूची का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत सदस्य सूची यू.ओ.नोट के साथ संलग्न कर भिजवायी जा रही है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त जोन–6

उपायुक्त जोन – 6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांकः जविप्रा/जोन–6/22/डी– 3316
दिनांक 13/10/22

रजि. नं. : 1035

3



श्री श्याम नगर विकास समिति

श्याम नगर-5, श्याम कुँज ए, 60 फीट नाँगल जैसा बोहरा, बैनाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर



अध्यक्ष :
बाबूलाल शर्मा
मो.: 9414387026

उपाध्यक्ष :
ओमप्रकाश वर्मा
मो.: 9314849685

कोषाध्यक्ष :
बलवीर सिंह शेखावत
मो.: 9782101134

महामंत्री :
मुरारीलाल शर्मा
मो.: 8947942838

महासचिव :
रामजीलाल शर्मा
मो.: 9587467959

सदस्यगण :
दिनेश शर्मा
राजेन्द्र सिंह राठौड़
महेश शर्मा
रविन्द्र सिंह
लक्ष्मीनारायण गुप्ता
उमेश सैनी

क्रमांक :

दिनांक 16/12/2021

श्याम नगर 5 , 60 फ़ीट रोड नांगल जैसा बौहरा बेनाड रोड झोटवाड़ा (जयपुर)

क्रम संख्या	प्लाट न.	छेत्रफल	मालिक का नाम पिता या पत्नी	मो. न.
1	4	142.2	निरजन कुमार कोटडिवाल पिता हनुमान प्रसाद कोटडिवाल	-
2	5	145	प्रेम लता कोटडिवाल पति निरजन कुमार कोटडिवाल	-
3	6	150	बाबू लाल टेलर पिता पुरण मल टेलर	9928015619
4	10	70.56	श्री मती किरण देवी पति सुरेंद्र सिंह सैनी	-
5	13	78.3	श्री मती आशा देवी पति नेमीचंद स्वामी	-
6	15	60	श्री मति पुष्पा शीतलानी पति वासुदेव सीतलानी	-
7	16	59.37	श्री नरेश कुमार पिता श्री छोटू लाल	9667747223
8	20	75.8	ओम प्रकाश सैन पिता मातादीन सैन	-
9	23	100	अनीता कँवर शेखावत पति बलवीर सिंह शेखावत	8824773295
10	25A	50	श्री मती पिंकी देवी पत्नी श्री कैलाश चंद नायक	9352403140
11	26A	50	श्री पूजा सैनी पति श्री करण सैनी	9828226406
12	27	58.75	श्री मती सुनीता शर्मा पति राजकुमार शर्मा	-
13	27A	50	श्री महेश कुमार पिता बनवारी लाल	9518685162
14	28	58.75	श्री मती सुनीता देवी पति राजकुमार सिंह	7014060609
15	28A	99.5	श्री मती सुमन देवी पति महेश कुमार शर्मा	-
16	28 B	50	श्री मती मधु कवर पति श्री छीतर सिंह	-
17	29A	50	श्री मती मधु कवर पति श्री छीतर सिंह	-
18	30A	50	श्री मती मधु कवर पति श्री छीतर सिंह	-
19	31	100	श्री मती सरिता सोनी पति गजकुमार सोनी	9587467959
20	32	100	श्री मती मधु शर्मा पति रामजी लाल शर्मा	-

बाबूलाल शर्मा
अध्यक्ष
बाबु लाल शर्मा

रजि. नं. : 1035



श्री श्याम नगर विकास समिति

श्याम नगर-5, श्याम कुँज ए, 60 फीट नाँगल जैसा बोहरा, बैनाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर



अध्यक्ष :
बाबूलाल शर्मा
मो.: 9414387026

उपाध्यक्ष :
ओमप्रकाश वर्मा
मो.: 9314849685

कोषाध्यक्ष :
बलवीर सिंह शेखावत
मो.: 9782101134

महामंत्री :
मुरारीलाल शर्मा
मो.: 8947942838

महासचिव :
रामजीलाल शर्मा
मो.: 9587467959

सदस्यगण :
दिनेश शर्मा
राजेन्द्र सिंह राठौड़
महेश शर्मा
रविन्द्र सिंह
लक्ष्मीनारायण गुप्ता
उमेश सैनी

क्रमांक :

दिनांक 16/12/2021

21	33	100	श्री गोपाल सिंह पिता बाल सिंह	
22	34 A	50	श्री मती मंजू कवर पति भगीरथ सिंह	-
23	35	80	राजकुमार सोनी पिता जगदीश प्रसाद सोनी	-
24	35A	80	श्री जगदीश चन्दुल पिता श्री कैलाश बिहारी चन्दुल	-
25	35B	50	श्री बोदु राम वर्मा पिता रूड़मल वर्मा	-
26	38	100	श्री हीरा लाल पिता टीकम दास	
27	39	100	श्रीमती ममता तंवर	-
28	42	120	श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता पिता राधेश्याम गुप्ता	-
29	43	63	श्री मती प्रतिभा पारीक पति श्यामसुंदर पारीक	-
30	47	130	श्री संतोष देवी पति दिनेश चंद शर्मा	-
31	48	60.95	श्री मती माली देवी पत्नी श्री रतन लाल प्रजापत	
32	49	86.4	सरोज देवी पत्नी श्री राजेंद्र सिंह	9636208302
33	51	64	गोपल लाल पिता श्री गणपत लाल	-
34	51A	68.6	श्री सुनीता देवी पत्नी मनोज कुमार सैन	

अध्यक्ष: महोदय

बाबूलाल शर्मा

अध्यक्ष

बाबू लाल शर्मा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांकः–जविप्रा/उपा/जोन–11/90ए (प्र.सं. 14/2013)/2022/डी– 2709 दिनांक 12/10/22

संशोधित लोक सूचना

खातेदार जेकेडी डवलपर्स जरिये पार्टनर श्री रितेश अग्रवाल पुत्र श्री जुगल किशोर गर्ग एवं श्री जुगल किशोर गर्ग पुत्र स्व. श्री इन्दर लाल गर्ग पता–08ए, गोविन्दी हाउस कानोता बाग, तख्तेशाही रोड, जेएलएन मार्ग, जयपुर के द्वारा ग्राम रामपुरा बास देवलिया तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 201 रकबा 0.13 हैक्ट. ख.नं. 202 रकबा 0.18 हैक्ट. ख.नं. 203 रकबा 0.22 हैक्ट. ख.नं. 204 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 388/205 रकबा 0.1040 हैक्ट. ख.नं. 200/1 रकबा 0.73 हैक्ट. ख.नं. 200/2 रकबा 0.21 ख.नं. 206 रकबा 0.02 हैक्ट. ख.नं. 216 रकबा 0.46 हैक्ट. ख.नं. 217 रकबा 0.48 हैक्ट. ख.नं. 223 एवं ख.नं. 224 रकबा 0.6733 हैक्ट. ख.नं. 225 रकबा 0.27 हैक्ट. ख.नं. 227 रकबा 0.30 हैक्ट. ख.नं. 228 रकबा 0.28 हैक्ट. ख.नं. 229 रकबा 0.30 हैक्ट. ख.नं. 230 रकबा 0.36 हैक्ट. ख.नं. 231 रकबा 0.35 हैक्ट ख.नं. 232 रकबा 0.33 हैक्ट. ख.नं. 233 रकबा 0.27 हैक्ट. ख.नं. 234 रकबा 0.32 हैक्ट. ख.नं. 229/315 रकबा 0.27 हैक्ट. ख.नं. 236 रकबा 0.58 हैक्ट. ख.नं. 223/337 रकबा 0.16 हैक्ट. कुल किता 24 कुल रकबा 7.1973 हैक्ट.भूमि की राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के तहत आवेदन किया गया था। उक्त आवेदन पत्र प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–11 के द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ दिनांक 25.09.2013 को निर्णय पारित किया गया था, उक्त खसरा नम्बरान् का नामान्तकरण जविप्रा के नाम दर्ज हो चुका है

खातेदार द्वारा उपरोक्त आवेदित भूमि का **वेयर हाउस (इन्फ्रास्ट्रक्चर)** प्रयोजनार्थ संशोधित 90ए आदेश जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। मास्टर प्लान–2025 में अनुसार U-2, HIZ में दर्शित है जिसमें **वेयर हाउस (इन्फ्रास्ट्रक्चर)** में अनुज्ञेय है।

अतः इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **वेयर हाउस (इन्फ्रास्ट्रक्चर)** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	ग्राम रामपुरा बास देवलिया तहसील सांगानेर (जयपुर)	**जेकेडी डवलपर्स जरिये पार्टनर श्री रितेश अग्रवाल पुत्र श्री जुगल किशोर गर्ग एवं श्री जुगल किशोर गर्ग पुत्र स्व. श्री इन्दर लाल गर्ग पता–08ए, गोविन्दी हाउस कानोता बाग, तख्तेशाही रोड, जेएलएन मार्ग, जयपुर**	ग्राम रामपुरा बास देवलिया तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 201 रकबा 0.13 हैक्ट. ख.नं. 202 रकबा 0.18 हैक्ट. ख.नं. 203 रकबा 0.22 हैक्ट. ख.नं. 204 रकबा 0.20 हैक्ट. ख.नं. 388/205 रकबा 0.1040 हैक्ट. ख.नं. 200/1 रकबा 0.73 हैक्ट. ख.नं. 200/2 रकबा 0.21 ख.नं. 206 रकबा 0.02 हैक्ट. ख.नं. 216 रकबा 0.46 हैक्ट. ख.नं. 217 रकबा 0.48 हैक्ट. ख.नं. 223 एवं ख.नं. 224 रकबा 0.6733 हैक्ट. ख.नं. 225 रकबा 0.27 हैक्ट. ख.नं. 227 रकबा 0.30 हैक्ट. ख.नं. 228 रकबा 0.28 हैक्ट. ख.नं. 229 रकबा 0.30 हैक्ट. ख.नं. 230 रकबा 0.36 हैक्ट. ख.नं. 231 रकबा 0.35 हैक्ट ख.नं. 232 रकबा 0.33 हैक्ट. ख.नं. 233 रकबा 0.27 हैक्ट. ख.नं. 234 रकबा 0.32 हैक्ट. ख.नं. 229/315 रकबा 0.27 हैक्ट. ख.नं. 236 रकबा 0.58 हैक्ट. ख.नं. 223/337 रकबा 0.16 हैक्ट. कुल किता 24 कुल रकबा 7.1973 हैक्ट.	
			कुल किता 24	कुल रकबा 7.1973 हैक्ट.

उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 12/10/22 को जारी की गयी।

उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी (जोन–11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:– जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करावें।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन–11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

क्रमांकः जविप्रा/जोन–6/22/डी– 3399 दनांक 14.10.2022

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः– धारा 90–ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90–ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

सलंग्नः– लोक सूचना विज्ञप्ति।

उपायुक्त जोन–6
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

उपायुक्त जोन – 6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....3399 दिनांक.....14.10.2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण श्री गणपति **गृ.नि.स. स** की योजना गणेश नगर–5ए के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टे.)	स्वामित्व
माचडा तहसील आमेर	835	1.0400	महेन्द्र कुमारी पत्नी रावल सुरेन्द्र सिंह हिस्सा पूर्ण

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 14.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–06 जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–6/22/डी– 3394 दनांक 14.10.2022

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः– धारा 90–ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90–ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

सलंग्नः– लोक सूचना विज्ञप्ति।

उपायुक्त जोन–6
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–06,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा / उपा.06 / 2022 / डी–3394 दिनांकः 14.10.2022

लोक सूचना

श्रीमती राजू देवी पत्नी भंवर लाल हि. 1/2 एवं लालचन्द पुत्र श्यामा हि. 1/2 जाति माली, सा.माचडा खातेदार डाक्टर वाली ढाणी, बालाजी कॉलेज के पास, सीतावाली फाटक, बैनाड रोड़ जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का (वेयर हाउस) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :–

ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट)
माचडा, तह0 (आमेर)	श्रीमती राजू देवी पत्नी भंवर लाल एवं लालचन्द पुत्र श्यामा	760/2	0.4700 हैक्ट
		कुल किता 1	0.4700 हैक्ट

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एस.एस.ओ आई.डी. से लॉग इन कर **90A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 14.10.2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–06,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–6/22/डी– 3397 दनांक 14.10.2022

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः– धारा 90–ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90–ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

सलंग्नः– लोक सूचना विज्ञप्ति।

उपायुक्त जोन–6
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जोन – 6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....3397 दिनांक.....14.10.2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **माधव नगर गृ.नि.स. स** की योजना **माधव नगर शिवपुरी** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा	स्वामित्व
झोटवाड़ा तहसील जयपुर।	46	0.1518 हैक्ट.	नाथ्या पुत्र हरबक्श हि. 1/2 जाति माली, ना.बा. पप्पू पुत्र गोपाल सरंक्षक विलायत माता भूमि पत्नी स्व. गोपाल हि. 1/6 ना.बा. राम रतन पुत्र गोपाल सरक्षंक विलायत माता भूरी पत्नी स्व. गोपाल हि. 1/6 ना.बा. श्रवण पुत्र गोपाल सरंक्षक विलायत माता भूरी पत्नी स्व. गोपाल हि. 1/6
	47	0.5438 हैक्ट.	
	50	0.7841 हैक्ट.	

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मेय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 14.10.22 .....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–06 जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–6/22/डी– 3402 दिनांक 14.10.2022

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः– धारा 90–ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90–ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

सलंग्नः– लोक सूचना विज्ञप्ति।

उपायुक्त जोन–6
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

उपायुक्त जोन – 6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....3402 दिनांक....14.10.2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण भैरव **गृ.नि.स.स** की योजना बजरंग विहार के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टे.)	स्वामित्व
माचडा तहसील आमेर	868 870 871 890	0.0300 0.1000 1.2300 0.3200	छोटू पुत्र कानाराम, हि. 1/36, प्रहलाद पुत्र कानाराम हि. 1/36, बिरदीचन्द पुत्र कानाराम हि. 1/36 मु.मंगली पत्नी कानाराम हि. 1/36, राधेश्याम पुत्र कानाराम हि. 1/36, सीताराम पुत्र कानाराम हि. 1/36 जाति माली सा.देह।
	869	0.0300	मु.मंगली पत्नी कानाराम, राधेश्याम पुत्र कानाराम, सीताराम पुत्र कानाराम, प्रहलाद पुत्र कानाराम, छोटू पुत्र कानाराम, बिरदीचन्द पुत्र कानाराम जाति माली सा.देह

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 14.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–06 जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–6/22/डी– 3405 दनांक 14.10.2022

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः– धारा 90–ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90–ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

सलंग्नः– लोक सूचना विज्ञप्ति।

उपायुक्त जोन–6
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

उपायुक्त जोन – 6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....3405 दिनांक...14.10.2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण सिरोही **गृ.नि.स.स** की योजना संगम कालोनी–बी उर्फ शिवनगर–प्रथम के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टे.)	स्वामित्व
माचडा तहसील आमेर	1022 1022/1070 1023	0.1500 0.1300 0.1300	1 श्रीमती अनिता पत्नी श्री रामनिवास हिस्सा 1/12 2 कमला देवी पत्नी घीसीलाल हि. 7795583/62296440 3 कृष्णमुरारी शर्मा पुत्र पूरणमल शर्मा हि. 1/9 4 नानूराम पुत्र कालू हि. 1/18 5 मक्खन लाल शर्मा पुत्र रामपाल शर्मा हि. 1/27 6 मनीष शर्मा पुत्र रामावतार शर्मा हि. 1/18 7 रमेश पुत्र कालू हि. 1/18 8 राजेन्द्र शर्मा पुत्र रामावतार शर्मा हि. 1/18 9 राधेश्याम पुत्र रामनाथ हि. 1/9 10 रामनारायण पुत्र रामनाथ हि. 1/36 11 रोशनलाल शर्मा पुत्र रामपाल शर्मा हि. 1/27 12 लादू पुत्र ग्यारसा हि. 2027/36840 13 सत्यनारायण पुत्र कालू हि. 1!18 14 सम्पत्ति देवी पत्नी रामनाथ हि. 25/614 15 हजारी लाल शर्मा पुत्र रामपाल शर्मा हि. 1/27 16 हनुमान पुत्र रामनाथ हि. 866/15219
माचडा तहसील आमेर	1021	0.0300	1 कैलाश चन्द पुत्र गोपीराम हि. 1/40 2 कृष्णमुरारी शर्मा पुत्र पूरणमल शर्मा हि. 1/36 3 गंगाराम पुत्र सेडूराम हि. 1/12 4 गजानन्द पुत्र लादू हि. 1/120 5 गोपाल पुत्र सूजीलाल हि. 1/8 6 गोरधन पुत्र धन्ना हि. 1/48 7 जगदीश प्रसाद पुत्र धन्ना हि. 1/48

			8 जुगलकिशोर पुत्र धन्ना हि. 1/48 9 नन्दराम पुत्र सेडूराम हि. 1/12 10 नानूराम पुत्र कालू हि. 1/72 11 बंशीधर पुत्र गोपीराम हि. 1/40 12 भंवरलाल पुत्र सूजीलाल हि. 1/8 13 मक्शनलाल पुत्र रामपाल हि. 1/108 14 मंगलचन्द पुत्र गोपीराम हि. 1/40 15 मनीष पुत्र रामावतार हि. 1/72 16 मनोहरलाल पुत्र लादू हि. 1/120 17 रूकमा देवी पुत्री लादू हि. 1/120 18 रमेश पुत्र कालू हि. 1/72 19 रमेश पुत्र रामावतार हि. 1/72 20 राधेश्याम पुत्र रामनाथ हि. 1/36 21 रामगोपाल पुत्र गणेश हि. 1/24 22 रामजानकी पुत्री लादू हि. 1/120 23 रामनारायण पुत्र रामनाथ हि. 1/36 24 राममजन पुत्र गणेश हि. 1/24 25 रामलाल पुत्र गोपीराम हि. 1/40 26 रोशनलाल पुत्र रामपाल हि. 1/108 27 लक्ष्मीनारायण पुत्र धन्ना हि. 1/48 28 शंकर लाल पुत्र गोपीराम हि. 1/40 29 सत्यनारायण पुत्र कालू हि. 1/72 27 लक्ष्मीनारायण पुत्र धन्ना हि. 1/48 28 शंकरलाल पुत्र गोपीराम हि. 1/40 29 सत्यनारायण पुत्र कालू हि. 1/72 30 सूरजनारायण पुत्र धन्ना हि. 1/48 31 सीताराम पुत्र लादू हि. 1/120 32 हजारीलाल पुत्र रामपाल हि. 1/108 33 हनुमान पुत्र रामनाथ हि. 1/36 34 हनुमान सहाय पुत्र धन्ना हि. 1/48
माचडा तहसील आमेर	1020	0.3400	1 श्रीमती अनिता पत्नी श्री रामनिवास हिस्सा 1/20 2 कमला देवी पत्नी घीसीलाल हि. 1/20 3 कमला देवी पत्नी घीसीलाल हि. 1/20 4 कृष्णमुरारी शर्मा पुत्र पूरणमल शर्मा हि. 1/20 5 नानूराम पुत्र कालूराम हि. 1/20 6 मक्खन लाल शर्मा पुत्र रामपाल शर्मा हि. 1/20 7 मनीष शर्मा पुत्र रामावतार शर्मा हि. 1/20 8 रमेशचन्द पुत्र कालूराम हि. 1/20 9 राजेन्द्र शर्मा पुत्र रामावतार शर्मा हि. 1/20 10 राधेश्याम पुत्र रामनाथ हि. 1/20 11 राधेश्याम पुत्र रामनाथ हि. 1/20 12 रामनारायण पुत्र रामनाथ हि. 1/20 13 रोशनलाल शर्मा पुत्र रामपाल शर्मा हि. 1/20 14 लादू पुत्र ग्यारसा हि. 1/20 15 लादूराम पुत्र ग्यारसीलाल हि. 1/20 16 सत्यनारायण पुत्र कालूराम हि. 1!20 17 सम्पत्ति देवी पत्नी रामनाथ हि. 1/20 18 हजारी लाल शर्मा पुत्र रामपाल शर्मा हि. 1/20 19 हनुमान पुत्र रामनाथ हि. 1/20 20 हनुमान सहाय पुत्र रामनाथ हि. 1/20

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–06 जविप्रा, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा/जोन–6/22/डी– 3407 दनांक 14.10.2022

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः– धारा 90–ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90–ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

सलंग्नः– लोक सूचना विज्ञप्ति।

उपायुक्त जोन–6
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

उपायुक्त जोन – 6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....3407 दिनांक 14.10.2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण मित्र **गृ.नि.स.स** की योजना किशोर नगर के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टे.)	स्वामित्व
मुरलीपुरा तहसील जयपुर	43	0.5185	बाबूलाल, किशोर, कजोड पुत्र लादू हि.ब. जाति माली सा.देह
	44	0.2782	नारायण पुत्र बक्सा हि. 1/6, फूलचन्द पुत्र छोटू हि. 1/18, बाबूलाल पुत्र झूथा हि. 1/12, बाबूलाल पुत्र छोटू हि. 1/18, बिरदा पुत्र सेडू हि. 1/4, मंगली पत्नी नाथू हि. 1/12, मूलचन्द पूत्र मु.नाथू हि. 1/12, रामचन्द्र पुत्र झूथा हि. 1/12, लालाराम पुत्र छोटू हि. 1/18, हनुमान पुत्र झूथा हि. 1/12 जाति माली सा.देह।

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 14.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–06 जविप्रा, जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/102126 2206 दिनांकः 14/10/2022

लोक सूचना

श्री **LALARAM CHOPRA** पुत्र श्री **SUJA RAM CHOPRA** जाति **JAAT** निवासी **369 MAA HINGLAJ NAGAR B LALARPURA JAIPUR**

श्री **GOPAL CHOPRA** पुत्र श्री **SUJARAM CHOPRA** जाति **JAAT** निवासी **360 MAA HINGLAJ NAGAR B PANCHVAYLA LALARPURA JAIPUR**

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **वाणिज्य** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	लालरपुरा, जयपुर (जयपुर)	LALARAM,,GOPAL	85,87,100,100/221	1904.87	0.1905
				कुल	**0.1905**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **14-10-2022** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपिः– जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन– 7
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/102137 5831 DATED- 14/10/22

लोक सूचना

खातेदार आवेदक श्रीमती शांति मीना पत्नि श्री मंगलिया लाल मीणा निवासी प्लाट न. जी–13 नील पदम सरोवर मार्ग नर्सरी सर्कल के पास वैशाली नगर, जयपुर द्वारा इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का **वाणिज्य** उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है।

अर्थातः–

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम–गोविन्दपुरा उर्फ चक करोल तहसील–सांगानेर जिला–जयपुर	श्रीमती शांति मीना पत्नि श्री मंगलिया लाल मीणा, हिस्सा पूर्ण, जाति–मीना, निवासी प्लाट न. जी–13 नील पदम सरोवर मार्ग नर्सरी सर्कल के पास वैशाली नगर, जयपुर	137/104 142/103 143/103 149/138	0.0426 हैक्टेयर 0.0300 हैक्टेयर 0.0300 हैक्टेयर 0.0370 हैक्टेयर
कुल		**कुल किता 04**	**रकबा 0.1396 हैक्टेयर**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ओर अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है। और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 14/10/22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–9
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

प्रतिलिपी–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा,जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–9
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {8320}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल { abusufiyan.ras@gmail.com}